प्रेस नोट दिनांक-25.07.2022

(1). आज दिनाँक-25.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(2). आज दिनाँक-25.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव एवं यातायात पुलिस द्वारा ट्राफिक चौराहा एवं रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर एवं ईटा मण्डी पर वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोड, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट, ओवरस्पीड वाहनों की चेकिंग की गयी। यातायात प्रभारी द्वारा चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन, हैंडसेट का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों को हिदायत दी गयी कि भविष्य में वाहन चालते समय कभी भी मोबाइल फोन, हैंडसेट का प्रयोग न करें। वाहन धीमी गति से सतर्कता पूर्वक चलाए। चेकिंग के दौरान ईटा मण्डी में ओवरलोड पाए गए 02 ट्रैक्टरों को तथा रेलवे स्टेशन एवं ट्राफिक चौराहा पर अवैध तरीके से पार्क किये गये 04 टैम्पो वाहनों को सीज किया गया। टैम्पों चालकों को निर्देश दिये गये कि अवैध रूप से सड़क पर पार्किंग न करें। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोड, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट, 03 सवारी, ओवरलोड सवारी पाए गए वाहनों का पेण्डिंग ई-चालान किया गया।

(3). आज दिनाँक 25.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). आज दिनाँक-23.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी घनश्याम दास द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप

श्री संजय कुमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2007 धारा 454/380 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त (1) बउआ उर्फ प्रभाकर (2) बल्लू पुत्र श्रीपाल निवासीगण कस्बा व थाना राजापुर को 05-05 वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।